—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :— 126/2020

उनवान

रामदेव दत्तक पुत्र नन्दा जाति भील निवासी ग्राम बुबानिया
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. छोटू पुत्र कालू
2. भवाना पुत्र कालू
3. मिश्री पुत्र कालू
4. सुवा पुत्र रामा
5. हरजी पुत्र कालू
6. हीरा पुत्र रामा समस्त जाति भील निवासी ग्राम बुबानिया, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

———— प्रतिवादीगण :— 1 से 6 अनुपस्थित
7 जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 30/10/24

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बुबानिया के खाता संख्या 456/481 किता 12 रकबा 2.51 व खसरा नम्बर 906 रकबा 0.49 की आराजी राजस्व अभिलेख में वादी के दत्तक पिता नन्दा की पत्नी राजी के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी के दत्तक पिता व माता का स्वर्गवास हो चुका है। वादी के जाईन्दा पिता छोटू ने वादी को हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार गोद दिया था। प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत किये तथा वादी रामदेव व गवाह रामचन्द्र के शपथ पत्र पेश किये। राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बुबानिया के खाता संख्या 456/481 किता 12 रकबा 2.51 आराजी मुतनाजा राजी पत्नी नन्दा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की सहखातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 906 राजी पत्नी नन्दा की एकल खातेदारी में दर्ज है। वादी का कथन है कि नन्दा व

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राजी द्वारा उसे बाल्य अवस्था में ही गोद ले लिया था। वादी द्वारा प्रस्तुत भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में भी उसके पिता का नाम नंदा ही अंकित है। वादी व गवाह रामचन्द्र ने अपने शपथ पत्र में गोद के तथ्यों को स्वीकार किया है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। किन्तु वादी द्वारा गोदनामे की कोई लिखत पेश नही की है। वादी के पास पंजीकृत गोदनामा भी नही है। वादी नन्दा व राजी का दत्तक पुत्र होने के कोई लिखित व ठोस दस्तावेज पेश नही किये है।

उक्तानुसार ग्राम बुबानिया के खाता संख्या 456/481 किता 12 रकबा 2.51 व खसरा नम्बर 906 रकबा 0.49 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से निस्तारित किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये प्रकरण में धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested